चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता/ 3005
दिनांक :– 16/11/2010

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा, अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय :– **एम0के0आर0 (पी0जी0) इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हसनपुर मसूरी, खेकड़ा (बागपत) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) में शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010) से सम्बद्धता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

एम0के0आर0 (पी0जी0) इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हसनपुर मसूरी, खेकड़ा (बागपत) को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित **बी0एड0** पाठ्यक्रम में **शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक 01.07.2010)** से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु कुलपति जी द्वारा डॉ0 यशवीर सिंह तोमर, प्राचार्य, जे0वी0 कालेज, बड़ौत (बागपत) के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय के पत्रांक सम्बद्धता/2901 दिनांक 01.11.2010 द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन किया गया। निरीक्षण मण्डल ने दिनांक 10.11.2010 को संस्थान का निरीक्षण कर अपनी आख्या एवं संस्तुति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की है। संदर्भित संस्थान को प्रस्तावित **बी0एड0** पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल ने संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं पत्राजातों का अवलोकन किया तथा निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया :–

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाली समिति का पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या–808/1999–2000, वैधता की तिथि 31.08.2014 तक।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित मानकानुसार पूर्ण है। प्रपत्र संलग्न है।
3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. सोसाइटी/ट्रस्ट की विगत वर्षो की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित सत्र 2007–2008 व 2009 की बैलेंस शीट संलग्न है।
5. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में रू0 2385882/–खाते में उपलब्ध है।
6. एफ0डी0आर0 संख्या–0748399 रू0 500000/–दिनांक 29.04.2008 मूलरूप में संलग्न है।
7. प्रबन्धतंत्र द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टिया तथ्यों पर आधारित एवं सही है, का रू0 50/–के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित मूलरूप में संलग्न है।
8. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र/छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निमार्ण कराये जाने की स्थिति मानकानुसार पूर्ण है।
9. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था मानकानुसार पूर्ण है।
10. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति से सम्बन्धित प्रयोगशालायें स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र मानकानुसार पूर्ण है।
11. प्रबन्ध समिति का गठन दिनांक 01.06.2009 एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन दिनांक 13.07.2009 द्वारा प्राप्त है।
12. मानकानुसार शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में है।

क्रमशः.............2

13. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर सहित संलग्न है।
14. संस्थान/महाविद्यालय की वैबसाइट mkrbc.org.mkrit1@yahoo.in है।
15. संस्थान/महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्रों की सुविधा का प्रमाण पत्र संलग्न है।
16. शासनादेश संख्या–4954/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होगे।"

उपरोक्त विवरणानुसार संस्थान में निम्नांकित कमियों के अतिरिक्त सम्बद्धता सम्बन्धी शेष मानक पूर्ण है।

1. शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

" निरीक्षण मण्डल को दिखाये गये भूमि, भवन, संसाधन एवं शपथ पत्र के आलोक में निरीक्षण मण्डल के सदस्य सम्यक विचारोपरान्त एम0के0आर0 (पी0जी0) इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, हसनपुर, मूसरी खेकडा (बागपत) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2010–11 से 100 सीटों की सम्बद्धता की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ करते है कि विश्वविद्यालय परिनियम संख्या–13.22 के अनुपालन में महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष कुलसचिव को सम्बद्धता के सभी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की समस्त शर्तें निरन्तर पूरी की जा रही है। यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे। "

" यहाँ यह भी सूच्य है कि विश्वविद्यालय पत्रांक सम्बद्धता/2998, दिनांक 16.11.2010 द्वारा संस्थान में एक प्राचार्य एवं सात प्रवक्ताओं को अनुमोदन प्राप्त है। "

उपरोक्त निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति पर कुलपति जी ने सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में निरीक्षण मण्डल की आख्या शासन को अग्रसारित करने के आदेश दिये है।

अतः कुलपति जी के आदेशों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–37 (2) के अधीन उक्त संस्थान को प्रस्तावित **बी0एड0** पाठ्यक्रम (100 सीट) में **शैक्षिक सत्र 2010–2011 (दिनांक** 01.07.2010) से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु लिये गये निर्णय से विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

नोट :– महाविद्यालय के सम्बद्धता प्रस्ताव की जाँच उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2527(20)/सत्तर–2– 2008–2 (166)/2002, दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा गठित समिति द्वारा कर ली गयी है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16-11-10

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी, कमेटी सैल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यपरिषद की आगामी बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

कुलसचिव